संख्या– / XVIII-(2)/2019-01(26)2007TC-1

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड शासन।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 28 नवम्बर, 2019

विषयः– **आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) में कार्यरत कार्मिकों के उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) में स्थानांतरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्यांक–53 अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 द्वारा लागू) की धारा–14 में राज्य सरकार को आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना तथा धारा–16 में प्राधिकरण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान है। अधिनियम की संगत धाराओं के अधीन शासनादेश–1356/XVIII-(2)/2018-3(2)/2016 दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा समय–समय पर प्राधिकरण में पद स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में कार्य संचालन हेतु प्राधिकरण तथा प्राधिकरणों के अंतर्गत राज्य आपातकालीन परिचालन कन्द्र, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हुए पदों की स्वीकृति दी गई है।

2– राज्य गठन के उपरान्त राज्य/केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के लागू होने से पूर्व राज्य में आपदा पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण, बचाव, राहत पुनर्वास प्रबन्धन के दृष्टिकोण से शासनादेश संख्या–16/आपदा प्रबन्धन/2001, दिनांक 06 नवम्बर, 2001 द्वारा प्रशासन अकादमी नैनीताल के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र का गठन किया गया था तथा शासनादेश संख्या–83/आपदा प्रबन्धन/2003, दिनांक 25 मार्च, 2003 द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र को स्वायत्तशासी का स्वरूप प्रदान किया गया था। केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन किये जाने के फलस्वरूप न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र(DMMC) के ढ़ाचें के सम्बन्ध में पूर्व विद्यमान समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या–1355 /XVIII- (2) /2018-3(2)/2016 दिनांक

2–

11 मई, 2018 द्वारा आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र का पुर्नगठन करते हुए 09 पद स्वीकृत किये गये है। पूर्व में प्राधिकरण में मानव संसाधन की कमी के कारण पूर्णतः कार्यात्मक स्थित में न हो पाने के कारण प्राधिकरण में कार्यालय व स्टॉफ आदि की सुचारू व्यवस्था होने तक अग्रेत्तर आदेशों तक प्राधिकरण के कार्य सम्पादन/सहयोग हेतु प्राधिकरण के कार्यालय ज्ञाप संख्या–02/उ0आ0प्र0प्रा0/2008, दिनांक 05 जनवरी, 2008 द्वारा आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) को अधिकृत किया गया था।

3– राज्य की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में एक ही उद्देश्य के लिए उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) व आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) दो इकाईयो के होने, कार्य संचालन हेतु संस्थागत ढांचा व मानव संसाधन की कमी के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन कार्यो के सुगमता पूर्वक संचालन हेतु दिनांक 07 जुलाई, 2017 को आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र के शासी निकाय की बैठक में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) को प्राधिकरण में विलय किये जाने का निर्णय लिया गया था पुनः शासी निकाय की दिनांक 25 अप्रैल,.2019 को सम्पन्न बैठक में भी पूर्व में विलय के निर्णय उचित पाते हुए इसी के अनुरूप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही शासी निकाय की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) में कार्यरत समस्त कार्मिकों को यथोचित पदों पर प्राधिकरण (USDMA) में उनके रोजगार के प्रकृति के अनुरूप लिये जाने पर कार्यवाही किया जाय।

4– वर्तमान में राज्य में आपदा प्रबन्धन से समस्त गतिविधियाँ केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत ही संचालित की जा रही हैं। केन्द्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–38 में राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट सभी उपाय किये जाने की व्यवस्था एवं आपदा न्यूनीकरण प्रबन्धन केन्द्र के शासी निकाय द्वारा लिये गये निर्णय, राज्य विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में एक ही उद्देश्य के लिए दो समान्तर इकाई होने तथा प्रशासनिक, वित्तीय दृष्टिकोण एवं सुगमतापूर्वक कार्य संचालन हेतु सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (USDMA) में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) के पदों का विलय करते हुए आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों को वर्तमान प्रास्थिति में पद सहित निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्राधिकरण (USDMA) में स्थानान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) के पुनर्गठित ढांचे में वर्तमान में सृजित कुल 09 पदों के सापेक्ष 03 कार्मिक संविदा (वर्तमान में 01 कार्मिक की संविदा अवधि माह जुलाई, 2019 से 11 माह के लिये विस्तारित) एवं 04 पदों के

3–